संख्या- 45/2019/740/छप्पन-2019-10(3)/2004

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2019

विषय: जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार हेतु बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना के लिए अर्जित भूमि ग्राम औरंगाबाद जागीर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में प्रतिकर धनराशि जमा कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 733-34/ना0उ0नि0/लेखा/2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 के साथ संलग्न जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-797/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)सं0सं0 दिनांक 27 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण, लखनऊ के प्रकीर्ण वाद संख्या-21/2002 श्री गोपीनाथ पुत्र स्व0 होईनमल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 के अनुपालनार्थ मा0 न्यायालय में जमा कराने हेतु बढ़े हुए प्रतिकर की कुल धनराशि रू0 46,70,440/- (रूपए छियालिस लाख सत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) की धनराशि को लेखाशीर्षक "8443-00-117-00-00 सिविल डिपाजिट वर्क डन फार पब्लिक बाडीज" में आहरित कर जमा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2/2019/2082/छप्पन-2018-10(3)/2004 दिनांक 15 जनवरी, 2019 द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि रू0 46,70,440/- (रूपए छियालिस लाख सत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) को लेखाशीर्षक "8443-00-117-00-00 सिविल डिपाजिट वर्क डन फार पब्लिक बाडीज" में जमा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-45/2019/740(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखाएवंहकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिटभवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) सं0सं0, लखनऊ।
5- मुख्यकोषाधिकारी,जवाहरभवन,लखनऊ/ कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/ लखनऊ।
7- मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ।
8- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/न्याय अनुभाग-6
10- समीक्षाअधिकारी (बजट)।
11- गार्डफाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।